



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

## दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

## THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

( Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India )

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/017 09.04.2026

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के अनुच्छेद 2.90 में संशोधन।**

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2026-27 दिनांक: 07 अप्रैल 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी ने प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के पैरा 2.90 में निम्नलिखित संशोधनों के संबंध में उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना जारी की है।

पैरा संख्या	मौजूदा पैराग्राफ	संशोधित पैराग्राफ
2.90	<p>उत्पत्ति प्रमाणपत्र (सीओओ)</p> <p>(क) उत्पत्ति प्रमाण पत्र (सीओओ) किसी भी देश में आयातित वस्तुओं की उत्पत्ति के प्रमाण स्थापित करने का एक साधन है।</p> <p>(ख) सीओओ की दो श्रेणियां हैं, अर्थात्।</p> <p>ए. वरीयता</p> <p>बी. गैर-वरीयता</p>	<p>उत्पत्ति प्रमाणपत्र (सीओओ)</p> <p>(क) उत्पत्ति प्रमाण पत्र (सीओओ) किसी भी देश में आयातित वस्तुओं की उत्पत्ति के प्रमाण स्थापित करने का एक साधन है।</p> <p>(ख) सीओओ की दो श्रेणियां हैं, अर्थात्।</p> <p>(i) तरजीही</p> <p>(ii) गैर-वरीयता</p> <p>(ग) मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत एजेंसियों की सूची परिशिष्ट 2बी, 2सी, 2डी और 2ई में अधिसूचित की गई है।</p> <p>(घ) सभी अधिकृत एजेंसियों को आवेदन स्वीकार करने और सीओओ जारी करने के लिए केवल <a href="https://www.trade.gov.in">https://www.trade.gov.in</a> या समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा। निर्दिष्ट प्लेटफॉर्म के बाहर मैन्युअल रूप से सीओओ जारी करना अनुमत नहीं है और ऐसा करने पर सीओओ जारी करने का प्राधिकरण रद्द किया जा सकता है।</p>

उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत एजेंसियां केवल डीजीएफटी द्वारा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से ही प्रमाण पत्र स्वीकार और जारी कर सकती हैं।

सदस्य विस्तृत सार्वजनिक सूचना यहां देख सकते हैं : [https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260408125317.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260408125317.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल